सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

प्रकरण : संख्या – 33/17 शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
30/10/17	वादी/प्रतिवादी/अधिवक्तागण उपस्थित/ पीठासीन अधिकारी राजकार्य से ~~भ्रमण~~/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश की पालना में दिनांक 27/11/17 को ~~पेश है।~~ आज्ञा से
27/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उप। किसी कि ओर से कोई उप नहीं आया। अतः के खिलाफ कार्यवाही की। अतः किसान एक तरफा कार्यवाही के आदेश पढ़े जाते हैं अधि सुनी कि एक तरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पार्टी का अन्तर्गत धारा 32RTA का स्वीकार किया जाकर ग्राम फुलिया के अ०नं० 459, 465, 468 पुत्र सिंगा 03 रकबा 0.48 बीघा में पार्टी के जिमिल दिखाये गये अंकित अक्षरों के सदृश कि भूमि में किसी किसी प्रकार कि हलल अदावी कारित न करे। पत्रावली सैमल शुमार होकर नस्ती के कर कि जाय। मुलाहय के साथ संलग्न कि जावे।

27/11